सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

876

(सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

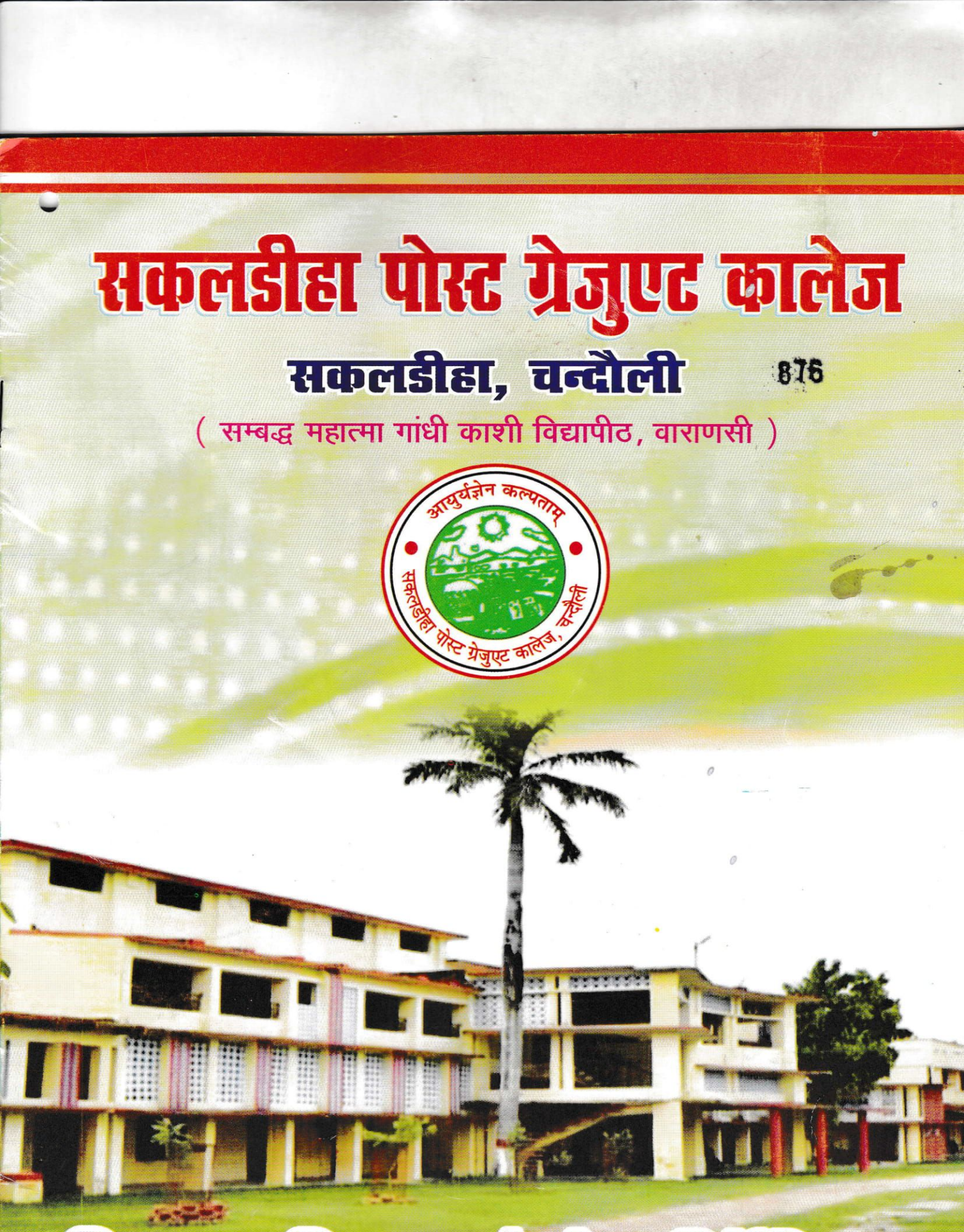

विवरण पत्रिका एवं प्रवेश निर्देशिका

कुलगीत

प्रफुल्ल शतदल–सा स्निग्ध सुरभित
विराट विद्या सदन हमारा ।
अगाध गरिमा – गरिष्ठ वीणा
निनादिनी का यह नेत्र तारा ॥

विभिन्न विषयों की ब्योमचुम्बी
स्तुता विद्या स्नातकोत्तरीया ।
सुरभ्य ग्रामीण अंचलावृत्त
सुज्ञान पादप का पुष्प प्यारा ॥

प्रफुल्ल शतदल–सा स्निग्ध
सुरभित विराट विद्या सदन हमारा ।
अगाध गरिमा – गरिष्ठ वीणा
निनादिनी का यह नेत्र तारा ॥

साहित्य–संस्कृति कला त्रिवेणी
में स्नान नख–शिख सुरम्य वसुधा ।
अतुल्य मेधा के जाह्नवी की
यहाँ तरंगित अबाध धारा ॥

विकास जलभर से सांद्र पंकिल
प्रसून–परिमल से मौलि मण्डित ।
उर स्मरण योग्य दिव्य पंडित
श्री कमलापति का तनय दुलारा ॥

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज

सकलडीहा, चन्दौली

(सम्बद्ध महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

डा० प्रमोद कुमार सिंह

अनुशासन परिवार, समाज और राष्ट्र की आवश्यकता है,
बिना अनुशासन कोई भी आगे नही बढ़ सकता है ,
अनुशासन से ही समस्याओं का समाधान है,
अनुशासन में ही विकसित होता ज्ञान है ।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के प्रवेश, परिवेश और परिशीलन को प्रतिबिम्बित करती यह विवरणिका महाविद्यालय के क्रिया-कलापों की निर्देशिका है । प्रत्येक प्रवेशार्थी को इसका निरीक्षण करके तद्नुरूप आचरण करना अपरिहार्य है । महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पाठ्यक्रम एवं अधिनियमों से अनुबद्ध इस महाविद्यालय की गरिमा और गुणवत्ता के प्रतिकूल कोई भी गतिविधि यहाँ अमान्य है । प्रवेश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पूर्णतः प्राचार्य के अधिकार में आबद्ध रहेगी ।

सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, सकलडीहा, चन्दौली
: एक परिचय :

व्यक्ति को सामाजिक मनुष्य बनाने में शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है । शिक्षा वह साधन है जिसके माध्यम से सुसंस्कृत एवं विवेक सम्पन्न लोग समाज और राष्ट्र को प्रगति मार्ग पर ले जाते है तथा नागरिकों के सामुदायिक जीवन को सभ्य समाज की सार्थकता की ओर गतिशील करते हैं । इस समूची प्रक्रिया में राष्ट्र के सभी सदस्यों का शिक्षित होना एक आवश्यकता है। वर्तमान भारत की शिक्षा - व्यवस्था में नगरों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । इसलिए गाँवो के देश भारत का ग्रामीण छात्र उच्च-शिक्षा के लिए प्रायः नगरों में रहने के लिए विवश होता है । स्वतंत्रता के बाद भारत प्रगति-मार्ग पर अग्रसर हुआ है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा-दीक्षा अभी भी दीन-हीन अवस्था में है । इस परिस्थिति में सहज बौद्धिक एवं उत्साही समाजसेवियों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । इसी कर्तव्य बोध के साथ इस संस्था की स्थापना की गयी ।

पूर्वांचल की यह संस्था सकलडीहा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित है । समिति का प्रमुख उद्देश्य पिछड़ी एवं निर्धन आबादी बाहुल्य क्षेत्र का बहुमुखी विकास एवं उन्नयन करना है । संस्थापक के सपनों को साकार करने में वर्तमान प्रबन्ध समिति एवं प्राचार्य पूर्ण मनोयोग से महाविद्यालय के विकास कार्य में तल्लीन है ।

यह संस्था स्व0 पं0 राम कमल पाण्डेय के सद् प्रयत्नों से सन् 1965 में 100 छात्रों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में 2200 छात्रों तथा 45 अध्यापकों एवं कर्मचारियों के साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हुये शिक्षा जगत की प्रमुख स्तम्भ बन गयी है । दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ने सन् 1965 में यहाँ हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी एवं भूगोल विषयों में स्नातक उपाधि के लिए पठन-पाठन की मान्यता प्रदान की ।

चूँकि प्रत्येक विकासशील देश की राष्ट्रीय योजना में प्रशिक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया जाता है , ताकि राष्ट्र के भावी नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत कर सकें । इस संस्था के शुभचिन्तकों ने भी शिक्षा के स्तरोन्नयन और प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की । उन्होनें प्रयास किया कि शहर के प्रदूषण और कोलाहल से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में सकलडीहा से शिक्षकों के प्रशिक्षण (बी0 एड0) की भी व्यवस्था की जा सके । वास्तव में यह प्रयास सराहनीय था, क्योंकि शिक्षक ही छात्र की अन्तर्दृष्टि को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है । इस औचित्यपूर्ण और न्यायसंगत तथ्य को हमारे विश्वविद्यालय ने सन् 1973 में समझा और बी0एड0 कक्षा चलाने की अनुमति प्रदान की । उसी वर्ष से आज तक अपने मानक में निरन्तर सुधार करते हुऐ महाविद्यालय ने बी0 एड0 के पठन - पठन में ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त की, कि विश्वविद्यालय से सम्बन्ध महाविद्यालयों के मध्य विभाग का एक विशेष स्थान बन गया है । कला एवं शिक्षा संकाय में स्नातक स्तर की शिक्षा के उपरान्त ग्रामीण छात्रों की सुविधा एवं क्षेत्रीय जनों की आकांक्षा को देखते हुए सत्र 1993-94 से भूगोल तथा 2000-01 से हिन्दी एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की कक्षा प्रारम्भ की गयी है । सत्र 2017-18 से अंग्रेजी एवं समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षा प्रारम्भ की गयी है । सत्र 2018-19 से गृहविज्ञान में स्नातक स्तर की कक्षाऐं भी प्रारम्भ करने की सम्भावना है । सत्र 2018-19 से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर प्रारम्भ करने की सम्भावना है ।

महाविद्यालय एक शरीर है तो छात्र - छात्राएँ उनके प्राण - तत्व हैं । हम विश्वास के साथ उनसे आशा करते हैं । कि इस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर व अपनी बौद्धिक चेतना विकसित कर व्यक्तित्व निर्माण करें ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भावी पीढ़ी का मार्ग - दर्शन कर सकें । यह लक्ष्य नैतिक, सद्गुण, प्रज्ञावान एवं परिश्रमी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है ।

1974 में छात्रों की माँग पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने ध्यान दिया और महाविद्यालय को प्राचीन इतिहास, सैन्य विज्ञान, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों के अध्ययन - अध्यापन की अनुमति प्राप्त हुई । 1987 में यहाँ राष्ट्रीय सेवायोजना की इकाई संचालित करने की भी अनुमति मिली । 1978 से महाविद्यालय में समय - समय पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों, उत्सवों, गोष्ठियों एवं विद्वत्जनों के व्याख्यानों आदि के द्वारा भी बौद्धिक उत्प्रेरणा की चेष्टा की जाती रही है ।

प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता तथा शर्तें -

संस्था के स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु आवश्यकतानुसार प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है । अधोलिखित अर्हता शर्त पूर्ण करने पर ही स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों तथा उपलब्ध सीटों के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाता है । जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया हो तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो ।

न्यूनतम अर्हता तथा शर्तें -

1- केवल वर्तमान एवं दो वर्ष पूर्व इण्टर या समकक्ष उतीर्ण छात्रा-छात्राएँ ही प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरें ।

2- हाईस्कूल तथा 10 + 2 अथवा समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं ।

3- प्रवेश परीक्षा की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

4- जाली प्रमाण पत्रों के साथ किया गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा ।

5- प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा उसे पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तो को पूर्ण करना भी आवश्य होगा ।

6- संस्था में प्रवेश हेतु मेरिट सूची प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी ।

7- यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो न्यूनतम अर्हता शर्ते पूरी नहीं करता है तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा कि वह अर्हता शर्ते पूरी करता है /करती हैं ।

8- प्रत्येक विषय की सीटें निर्धारित हैं । निर्धारित सीटें भर जाने के पश्चात उस विषय में प्रवेश नहीं मिलेगा। अन्य विषयों में ही प्रवेश संभव होगा

9- इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किसी अन्य शिक्षण संस्था के किसी भी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगें । यदि ऐसा करता हुआ कोई भी प्रवेशार्थी संज्ञान में आया तो इस संस्था से निष्कासित कर दिया जायेगा

10- महाविद्यालय किसी भी समय किसी प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त / मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है तथा प्रवेश नियमों में परिवर्तन अथवा संशोधन कर सकता है ।

11- महाविद्यालय के प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले प्रवेशार्थियों का प्राप्तांकों के आधार पर निर्मित अंक श्रेष्ठता क्रम में प्रवेश किया जायेगा । आरक्षित व्यवस्था में प्रतिमान नहीं होगा । विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रवेश होगा ।

12- प्रवेश में सम्मिलित सभी प्रवेशार्थी निम्नलिखित सामान्य अंक लाभ में से कोई एक अंक लाभ प्राप्त कर सकेंगे ।

क- अनुसूचित जाति / अनु0 जन जाति / अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत (कुल 50 प्रतिशत) स्थान आरक्षित है । आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा ।

ख- 5 अंक लाभ एन0 सी0सी0 के 'बी' प्रमाण पत्र धारकों को जिन्होंने इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, दिया जायेगा ।

ग- 10 अंक लाभ एन0सी0सी0 के 'सी' प्रमाण पत्र धारकों को जिन्होंने इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, दिया जायेगा ।

घ- कालेज के पूर्ण कालिक अध्यापको एवं कर्मचारियों के आश्रितों (पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु, सगा भाई एव

सगी बहन) के सदस्यों को भी यह सुविधा देय होगी ।

ड़- राज्य स्तर के उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ियों को 10 प्रतिशत अंक लाभ मिलेगा परन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

च- विकलांग अभ्यर्थी अंक श्रेष्ठता क्रम में न आने पर भी उ0प्र0 राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश पा सकेंगे किन्तु उन्हें न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । विकलांग अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण-पत्र के साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि वे ऐसे किसी सक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं है जिसके अन्य छात्रों में फैलने की संभावना हो ।

13. विशेष परिस्थितियों यथा आवेदकों की संख्या कम होने पर - महाविद्यालय बिना प्रवेश परीक्षा आयोजित किये हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट (अथवा समकक्ष) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट बनाकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है ।

14- स्नातकोत्तर स्तर पर विषय प्रवेश समिति का गठन किया जाता है । यह समिति सम्बन्धित विषय में प्रवेश हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करती है ।

15- बी0एड0 कक्षा में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जायेगा । विश्वविद्यालय से प्राप्त सूची के अनुसार शासनादेश के तहत प्रवेश कार्य बी0एड0 प्रवेश समिति द्वारा सम्पन्न होगा । प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा ।

नोट- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी जहाँ यह पता चले कि कोई अभ्यर्थी अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण दण्डित किया गया है या किसी शिक्षण संस्था से निष्कासित किया गया है, वहाँ महाविद्यालय के प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के बिना प्रवेश देने से इंकार कर सकते हैं । ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का बिना कुलपति की अनुमति के प्रवेश स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

प्रवेश प्रक्रिया के सामान्य नियम

1. प्रवेशार्थी महाविद्यालय के सूचना पट्ट से अपने प्रवेश की तिथि आदि की जानकारी प्राप्त करें तथा निधार्रित तिथि को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपने अभिलेखो (मूल प्रमाण पत्रों) का सत्यापान करायेंगे । प्रवेशार्थी के सभी अभिलेख पूर्णतः सही पाये जाने पर उसे प्रवेश की अनुमति दी जायेगी । जिसके आधार पर निधार्रित तिथि के अन्दर शुल्क जमा करना पड़ेगा ।

2. यदि कोई प्रवेशार्थी समिति के समक्ष निधार्रित तिथि को उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित के समय अपने वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति नहीं प्रस्तुत करता अथवा निधार्रित तिथि तक शुल्क नहीं जमा करता है, तो उसे प्रवेश के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा तथा श्रेष्ठता क्रम में इसके बाद आने वाले प्रवेशार्थियो को प्रवेश का मौका दिया जायेगा ।

3. महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले सभी छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय में नामांकन कराना पड़ता है । उसके लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र लाना अनिवार्य है । इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के अंक पत्र लाना अनिवार्य है । इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा उत्तीर्ण छात्र अपने पूर्व संस्था अर्थात जहॉ से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र लाना चाहिए ।

4. महाविद्यालय के शुल्क काउण्टर पर निर्धारित पूर्ण शुल्क जमा करने पर रसीद एवं परिचय पत्र प्राप्त होगा । परिचय पत्र को बड़ी सावधानी से रखना चाहिए ।
   इसके खो जाने पर काउण्टर पर 35 रूपया जमा करने पर द्वितीय प्रति प्राप्त हो सकती है ।
5. परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर पुस्तकालय से निश्चित अवधि (15 दिन) के लिए पुस्तक मिलती है । प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से ली गयी पुस्तकें निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होती है । ऐसा न करने पर निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ दण्ड देय होगा ।
6. विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र-छात्राएँ विश्वविद्यालय के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार केवल भूतपूर्व छात्र के रूप में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं । विश्वविद्यालय परीक्षा में न सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रायें भी अगले वर्ष की बी0 ए0 भाग 1/ स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में पुनः प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें ।
7. बी0 ए0 की किसी भी कक्षा में किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश लिए हुए छात्र का स्थानान्तरण नहीं होगा ।

पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम कला संकाय

बी0 ए0 का पाठ्यक्रम तीन वर्ष का है । प्रत्येक वर्ष बी0 ए0 प्रथम भाग, बी0ए0 द्वितीय भाग, एवं बी0ए0 तृतीय भाग की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ली जाती है । तीनों भागों की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक की उपाधि दी जाती है । बी0 ए0 प्रथम एवं द्वितीय भाग में लिए गये वैकल्पिक विषय ही भाग तीन में लिए जा सकेंगें । बी0ए0 भाग तीन में केवल दो विषय लिए जा सकेंगे एवं प्रत्येक विषय के तीन - तीन प्रश्न पत्र होंगे । बी0 ए0 भाग 1 में विषय परिवर्तन सामान्यतः नहीं होगा ।

वैकल्पिक विषय

महाविद्यालय की समयसारिणी एवं व्यवस्था के अनुसार बी0 ए0 पाठ्यक्रम के लिए निम्न में से कुल तीन विषय लेने है ।

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय -

1. हिन्दी	2.अंग्रेजी	3. संस्कृत	4. अर्थशास्त्र	5.भूगोल
6. प्राचीन इतिहास	7.समाजशास्त्र	8.रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन		9.मनोविज्ञान
10. राजनीति-शास्त्र	11. शारीरिक शिक्षा	12. गृहविज्ञान (सम्भावित) स्ववित्तपोषित		

वैकल्पिक विषयों में से प्रत्येक छात्र को बी0ए0 प्रथम वर्ष प्रवेश लेते समय तीन विषयों का चयन निम्नांकित ध्यातब्य प्रतिबन्धों को दृष्टि में रख कर करना होगा ।

1. हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी साहित्यिक विषयों में से केवल दो ही विषय एक साथ लिए जा सकते हैं । हिन्दी के साथ अंग्रेजी अथवा संस्कृत लेना अनिवार्य होगा ।
2. भूगोल एवं प्रा0 इतिहास विषय में से केवल एक विषय का चयन करना होगा ।
3. केवल 02 प्रयोगात्मक विषय प्रवेश हेतु मिलेगा ।
4. गृहविज्ञान मनोविज्ञान विषय में से केवल एक विषय का चयन करना होगा ।
5. राजनितशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषय में से केवल एक विषय का चयन करना होगा ।
6. संस्कृत एवं सैन्य विज्ञान विषय में से केवल एक विषय का चयन करना होगा ।

स्नातक - शिक्षा संकाय

स्नातक शिक्षा संकाय का पाठ्यक्रम महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, के पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया गया है ।

स्नातकोत्तर

महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के नियमों / परिनियमों के अनुसार स्ववित्तपोषित व्यवस्था में भूगोल, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों का पठन-पाठन कराया जाता है । अर्थशास्त्र में एम.ए. सम्भावित हैं ।

पाठ्येत्तर कार्यक्रम

1- महाविद्यालय में क्रीड़ा एवं खेलकूद की समुचित व्यवस्था विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की देख रेख में की जाती है ।

2- महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स, की क्रमशः एक-एक इकाईयाँ कार्य करती है ।

3- राष्ट्रीय सेवा योजना की भी व्यवस्था है, जिसमें 100 स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है । जिसके कार्यक्रम अधिकारी डा0 शमीम राईन है ।

4- समय - समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सम्पन्न होते हैं, तथा छात्र/छात्राओं को उत्कृष्टता क्रम में महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तथा प्रमाण-पत्र भी दिये जाते हैं ।

देय शुल्कों का विवरण

विश्वविद्यालय के वार्षिक एवं अन्य शुल्क देय होंगे । सभी शुल्क एक ही किस्त में देय होंगे । भूगोल, रक्षा अध्ययन मनोविज्ञान एवं शारिरीक शिक्षा पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को प्रयोगशाला अवधान शुल्क के रूप में 50/- रूपये अतिरिक्त देने होंगे । समय - समय पर विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तित किये जाने पर शुल्क की राशि परिवर्तित की जाती है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रों का भी पूर्ण शुल्क एक ही किश्त में देय होगा । भूतपूर्व छात्रों को परीक्षा के आवेदन पत्र पर अग्रसारित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा ।

छात्र कल्याण कोष

महाविद्यालय में छात्र - कल्याण कोष की व्यवस्था की गयी है जिसमें सभी छात्र/छात्राओं को दस रूपये मात्र प्रवेश के समय देय होगा । यह कोष सरकारी आदेशों के अनुसार छात्र-छात्राओं के हित में खर्च किया जा सकेगा ।

अवधान शुल्क

महाविद्यालय छोड़ने के 6 माह पश्चात् ही सामान्यतया जनवरी से जून के बीच की अवधि में दो वर्ष के अन्दर अवधान शुल्क वापस लिया जा सकता है। इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह धन कालेज के विकास कोष में प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है ।

विद्यार्थियों को प्राप्त सुविधाएँ -

पुस्तकालय

प्रायः देखा गया है कि क्षतिग्रस्त पुस्तके पुस्तकालय में जमा करने के लिए छात्र/छात्रा अनावश्यक रूप से आग्रह करते हैं ऐसा कदापि न करें । ऐसी स्थिति में पुस्तक का मूल्य जमा करना ही श्रेयस्कर होगा । पुस्तकालय आपके महाविद्यालय

की सम्पत्ति है। इसकी रक्षा करना एवं सुरक्षित रखना प्रत्येक छात्र / छात्रा का पुनीत कर्तव्य है। आप पुस्तकालय के नियमानुसार अपने प्रश्न-पत्र की ही पुस्तकें प्राप्त कर सकते है सामान्य रूचि की भी पुस्तके प्राप्त की जा सकती है । एक साथ दो से अधिक पुस्तकें देना सम्भव नहीं है । एक बार में 15 दिन के लिए ही पुस्तकें प्राप्त की जा सकती है, इसके बाद पुस्तकों को अवश्य जमा कर देना होगा । जमा कर देने के बाद आवश्यकतानुसार अन्य पुस्तकें अथवा उन्हीं पुस्तकों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है ।

पुस्तकालयाध्यक्ष विशेष स्थिति में किसी पुस्तक को किसी समय लौटाने की सूचना दे सकता है । उनके द्वारा निर्धारित तिथि की पुस्तकें जमा करने की अन्तिम तिथि होगी । सन्दर्भ पुस्तकें केवल सम्बन्धित विषय के अध्यापक की संस्तुति पर ही दी जा सकेगी । प्रवेश - पत्र के पूर्व सभी पुस्तकें वापस करनी होगी अथवा उनका मूल्य जमा करना होगा ।

वाचनालय

महाविद्यालय में वाचनालय की भी व्यवस्था है । वाचनालय में परिचय-पत्र दिखाकर विद्यार्थी समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का अवलोकन एवं अध्ययन कर सकते हैं ।

देशाटन / पर्यटन

कला संकाय में भूगोल के छात्रों के लिए पर्यटन प्रशिक्षणार्थियों के लिए देशाटन / शैक्षिक संगोष्ठी आवश्यक है । जिसका प्रबन्ध विषय से सम्बन्धित अध्यापक प्राचार्य की अनुमति से छात्र / छात्राओं के हित का ध्यान रखते हुए करेगें, क्योंकि यह उनके पाठ्यक्रम का एक भाग है ।

शुल्क मुक्ति एवं शुल्क वापसी -

कला संकाय में छात्र - छात्राओं की फीस माफ की जाती है, शुल्क मुक्ति शिक्षा विभाग के नियामों के अनुसार ही की जाती है। प्रायः अर्द्धशुल्क मुक्ति हो जाती है । विशेष परिस्थितियों में ही पूर्ण शुल्क - मुक्ति की जाती है । शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र / छात्राओं की शुल्क - मुक्ति नहीं दी जाती है । यदि कोई छात्र ऐसा करता है तो वह दण्डनीय है । शुल्क - मुक्ति प्राप्तांको के आधार पर की जाती है । किसी भी अवस्था में मँहगाई शुल्क मुक्ति नहीं होती है । एक छात्र को एक ही आर्थिक सुविधा प्रदान की जा सकती है ।

निर्धन छात्र कोष एवं छात्र कल्याण कोष

महाविद्यालय के निर्धन छात्र / छात्राओं को जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति अथवा शुल्क मुक्ति नही मिलती है इस कोष से सहायता दी जाती है । इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करके कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा ।

छात्रवृत्ति एवं पुस्तक सहायता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति / पिछड़ी एवं अन्य जाति के छात्र / छात्राओं को शासन द्वारा छात्रवृत्ति अनार्वतक अनुदान एवं पुस्तकीय सहायता दी जाती है प्रखर बुद्धि एवं अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र -छात्राओं को छात्रवृत्ति शासन के नियमानुसार प्रदान की जाती है ।

वार्षिक पत्रिका

सत्रान्त में महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका 'अनामिका' छात्र-छात्राओं को दी जाती है । इसमें प्रकाशित होने वाले

लेख प्राचार्य द्वारा निर्दिष्ट सम्पादक मंडल के सदस्यों के पास निर्धारित तिथि तक दिये जाने चाहिए । प्रकाशन सामग्री पर्याप्त न होने पर संयुक्तांक ही प्रकाशिक करना पड़ता है । प्राप्त रचनाओं को गुणवत्ता के आधार पर प्रकाशित करने अथवा न करने का पूरा अधिकार सम्पादक मण्डल एवं प्राचार्य का होगा ।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (कोड-48047)।

महाविद्यालय में उपर्युक्त केन्द्र सत्र 2018-19 से संचालित है । जिसमें समन्यवक डॉ0 दयानिधि सिंह यादव है, इस केन्द्र में निम्न विषय उपलब्ध है :

1- बी0ए0 2- C.R.D. (ग्राम विकास में प्रमाण-पत्र) 3- P.G.D.R.D (ग्राम विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा), 4- M.H.D. हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि) 5- M.S.O. (समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि) 6- C.H.R. मानवाधिकार में प्रमाण-पत्र ।

कैरियर कांउसिलिंग प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में कैरियर कांउसिलिंग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्यशालायें आयोजित कि जाती है ।

अनुशासनाधिकारी एवं परिचय - पत्र

प्रत्येक छात्र-छात्रा का यह पुनीत कर्तव्य है कि कालेज परिसर में अनुशासनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित परिचय-पत्र के साथ ही प्रवेश करें । नियमित छात्र -छात्रा ही कक्षा में प्रवेश करें । जो कालेज के छात्र -छात्रा नहीं है उनसे अनुरोध है कि बिना अनुशासनाधिकारी या प्राचार्य की अनुमति के महाविद्यालय परिसर में प्रवेश न करें । व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में सहयोग प्रदान करें आपका ही महाविद्यालय है, इसे प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनें । अनुशासनाधिकारी द्वारा ही परिचय-पत्र पर हस्ताक्षर मान्य होगा ।

पुरातन छात्र प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में पुरातन छात्र प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके द्वारा संगोष्ठी आयोजित की जाती है ।

अनुशासन सम्बन्धी नियम

1. यदि कोई छात्र - छात्रा दुर्व्यवहार या उत्तरोत्तर कार्य विमुखता के लिए दोषी पाया जायेगा तो प्राचार्य / अनुशासनाधिकारी अपराध की प्रकृति एवं गुरूता के अनुरूप निम्न प्रकार के दण्ड दे सकते है ।
   - अ. अर्थदण्ड
   - ब. निलम्बन, जो 6 सप्ताह से अधिक का होगा ।
   - स. किसी अवधि के लिए निष्कासन जो सत्रान्त से कम न होगा ।
   - द. निष्कासन- जिस वर्ष दण्ड दिया गया है उसके अतिरिक्ति अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि का हो सकेगा ।
2. महाविद्यालय के किसी क्षेत्र में निरूद्देश्य इधर-उधर घूमना, बरामदों में भीड़ लगाना अथवा सभाकक्ष में यत्र-तत्र दो-चार के समूह में बैठकर अमर्यादित ढंग से बातें करना ।
3. महाविद्यालय की किसी कक्षा या बरामदे या प्रांगण में ध्रुमपान करना ।

4. महाविद्यालय भवन की दीवारों या अन्य जगहों पर पोस्टर चिपकाना या लिखना, अन्य किसी तरह की स्थायी या अस्थायी विकृत जैसे नियत स्थान के अतिरिक्त और कहीं पान खाकर थूकना या कागज आदि फेकना ।
5. महाविद्यालय के मुख्य द्वार से साइकिल या मोटर साइकिल पर चढ़कर महाविद्यालय में प्रवेश करना या बाहर, निकलना ।
6. किसी प्राध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा उसके पूछने पर अपना परिचय जैसे नाम, पता, आदि न बताना ।
7. महाविद्यालय सम्पति को किसी भी रूप में क्षति पहुँचाना ।
8. महाविद्यालय प्रांगण में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का लाना और उसका अनुचित प्रयोग करना, आदि दण्डनीय अपराध माना जाएगा ।
9. कक्षा समाप्त होने के बाद कालेज परिसर में घूमना अनुशासन हीनता माना जायेगा।
10. खाली समय में छात्र पुस्तकालय एवं वाचनालय में पठन-पाठन कर सकते है । प्रयोगात्मक सामग्रियों को क्षति पहुँचाने पर सामग्री के वास्तविक मूल्य का दूना मूल्य छात्र-छात्राओं को देय होगा तथा महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, टेबूल, कुर्सी, जेनेरेटर, इन्वर्टर, गमले आदि को क्षति पहुँचाने पर अर्थदण्ड रू0 500/- देय होगा ।

आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में निर्देश

1. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में बड़े अक्षरों में रोशनाई या काला बाल पेन से हस्तलेख में भरा जाना चाहियें । जहाँ भी सूचना बाक्स में लिखनी हो वहाँ एक बाक्स में एक ही अक्षर लिखा जाना चाहिये । बड़े अक्षरें में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच तथा मध्य एक अंत शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त (खाली) छोड़कर लिखा जाना चाहिये । नाम के पहले श्री / श्रीमती / कुमारी आदि न लिखे । आवेदन पत्र पर अपना नाम,पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम और जन्म तिथि आदि का उल्लेख हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुरूप करें । किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर उनकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी ।
2. अभ्यर्थी स्वयं प्रमाणित अद्यतन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ दिये गये बाक्स में चिपकायें, स्टेपल न करें ।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची

1. आयु के साक्ष्य में स्वयं सत्यापित किया गया हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा अंक पत्र की छाया प्रति ।
2. स्वयं सत्यापित इण्टर की अंक पत्र अथवा यदि इण्टरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुये तो सम्बन्धित प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र की स्वय सत्यापित छाया प्रति ।
3. जिस संवर्ग के लिए आरक्षण की माँग अभ्यर्थी द्वारा दी गयी है, उसके समर्थन में सूचना पुस्तिका में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित जाति प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति ।
4. पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप

नोट - निश्चित संख्या से अधिक प्रवेश फार्म जमा होने पर प्रवेश परीक्षा करायी जायेगी ।

120 मिनट अवधि का 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगी जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, राष्ट्रय सुरक्षा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य तथा सामान्य विज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे ।

प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

1- परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न पुस्तिका दी जायेगी ।

2- प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परिक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उनके प्रश्न पत्र मे सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है । पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी तत्काल सूचना कक्ष निरीक्षक को देकर दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

3- परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्न पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर काले बाल पेन से लिखना होगा ।

4- प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर 1,2,3 व 4 होगें । परीक्षार्थी उनमें जिसे सही उत्तर समझता है उसे उस विकल्प का चयन करना है तथा उनके सम्मुख बने खाने ( ) में सही का चिन्ह ✓) लगाना है ।

उदाहरण - यदि प्रश्न संख्या 4 के वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3), (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिए (2) का चयन करता है, तो उसे पुस्तिका में विकल्प संख्या (2) के सामने बने खाने पर सही का चिन्ह ✓) लगाना है ।

मूल्यांकन एवं परीक्षाफल

1. प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा जिन प्रश्नों को नहीं किया गया है उन पर शून्य अंक प्रदान किये जायेगें ।
2. अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर होगा यदि वह न्यूनतम योग्यता कि अर्हता पूर्ण करता है।
3. समान इन्डेक्स होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।

प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषत होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी । परीक्षाफल महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर निश्चित तिथि को देखा जा सकता है ।

महाविद्यालय परिवार

कला संकाय

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह		प्राचार्य	
		प्राध्यापकगण	
1.	डॉ0 विजय कुमार पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर	भूगोल
2.	डॉ0 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर	समाज शास्त्र
4.	डॉ0 अरूण कुमार उपाध्याय	एसोसिएट प्रोफेसर	राजनीतिक विज्ञान
5.	डॉ0 शिव सहाय सिंह यादव	एसोसिएट प्रोफेसर	भूगोल
6.	डॉ0 दयानिधि सिंह यादव	एसोसिएट प्रोफेसर	हिन्दी
7.	डॉ0 उदयशंकर झा	एसोसिएट प्रोफेसर	संस्कृत
8.	डॉ0 इन्द्रदेव सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र
9.	डॉ0 दुष्यन्त सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	प्राचीन इतिहास
10.	डॉ0 विजेन्द्र सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
11.	डॉ0 विनायक कुमार दूबे	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद
13.	डॉ0 शमीम राईन	एसोसिएट प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान
12.	डॉ0 रजनीश कुंवर	एसोसिएट प्रोफेसर	रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन
13.	श्री संदीप कुमार सिंह	सहायक प्रोफेसर	भूगोल
14.	डॉ0 राजेश कुमार यादव	सहायक प्रोफेसर	बी0एड0
15.	श्री अजय कुमार सिंह यादव	सहायक प्रोफेसर	बी0एड0
16.	डॉ0 इन्द्रजीत सिंह	सहायक प्रोफेसर	बी0एड0
17.	डॉ0 सीता मिश्रा	सहायक प्रोफेसर (मानदेय)	मनोविज्ञान
18.	श्री अजय कुमार यादव	सहायक प्रोफेसर	पुस्तकालय

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत प्राध्यापकगण

1.	डॉ0 पवन कुमार ओझा	सहायक प्रोफेसर	राजनीति शास्त्र
2.	डॉ0 उमेश कुमार चर्तुवेदी	सहायक प्रोफेसर	हिन्दी
3.	डॉ0 अनिल कुमार तिवारी	सहायक प्रोफेसर	राजनीति शास्त्र
4.	डॉ0 सुशील कुमार सिंह	सहायक प्रोफेसर	भूगोल
5.	डॉ0 अभय कुमार वर्मा	सहायक प्रोफेसर	भूगोल
6.	डॉ0 विकास कुमार जायसवाल	सहायक प्रोफेसर	भूगोल
7.	डॉ0 मनीष राय	सहायक प्रोफेसर	समाजशास्त्र
8.	डॉ0 प्रमोद कुमार पाण्डेय	सहायक प्रोफेसर	हिन्दी
9.	डॉ0 प्रीतम उपाध्याय	सहायक प्रोफेसर	समाजशास्त्र
10.	डॉ0 शशिकान्त गुप्ता	सहायक प्रोफेसर	अंग्रेजी

शिक्षणेत्तर वर्ग

1.	श्री अरूण प्रकाश पाठक	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री अखिलेश पाण्डेय	सहायक लेखाकार
3.	श्री अजीत कुमार मिश्र	रूटिन क्लर्क
4.	श्री दीपक कुमार दूबे	रूटिन क्लर्क
5.	श्री भरत कुमार	रूटिन क्लर्क
6.	श्री राहुल यादव	रूटिन क्लर्क
7.	श्री कविन्द्र नारायण	रूटिन क्लर्क
8.	श्रीमती सरिता देवी	आशुलिपिक
9.	श्री बृजेश यादव	प्रयोगशाला सहायक-रक्षा अध्ययन
10.	श्री आलोक सिंह	प्रयोगशाला सहायक- भूगोल
11.	श्री रामधनी पाण्डेय	प्रयोगशाला सहायक- मनोविज्ञान
12.	श्री वार्ष्णेय प्रसाद	परिचारक
13.	श्रीमती दुर्गा देवी	परिचारक
14.	श्री मुराहू राम	परिचारक
15.	श्रीमती कान्ती देवी	परिचारक
16.	श्री भोजू राम	परिचारक
17.	श्री हीरा लील	परिचारक
18.	श्री अनिल कुमार यादव	परिचारक
19.	श्री संतोष कुमार सिंह	परिचारक
20.	श्री घनश्याम	परिचारक
21.	श्री विनोद कुमार यादव	परिचारक
22.	श्री चन्द्रशेखर	परिचारक
23.	श्री बनारसी	परिचारक
24.	श्रीमती विजय लक्ष्मी	परिचारक
25.	श्रीमती साधना जायसवाल	परिचारक
26.	श्री भैयालाल	नाईट गार्ड

स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण

1.	श्री अतुल कुमार पाण्डेय	लिपिक
2.	श्री विनय कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर
3.	श्री शुभम सिंह	लिपिक
4.	श्री बृजमोहन प्रसाद	परिचारक
5.	श्री गोविन्दा	सफाई कर्मी
6.	श्री रामप्रकाश यादव	गार्ड
7.	श्री पंकज यादव	परिचारक
8.	श्री श्यामलखन	परिचारक

जाँच सूची

आवेदन - पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित बातों की जाँच अवश्य ही कर लें :

1- आवेदन-पत्र हर दृष्टि से पूर्ण है तथा घोषणा अभ्यर्थी व उसके पिता / अभिभावक के द्वारा ही हस्ताक्षरित है। अपूर्ण आवेदन -पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

2- पासपोर्ट आकार के नवीनतम् फोटो आवेदन पत्र पर सही जगह गोंद से चिपके हैं, तथा सभी स्वहस्ताक्षरित हैं।

3- आवेदन - पत्र के साथ श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग) आदि की उपयुक्त प्रविष्टियाँ आवेदन-पत्र में सही जगह भर दें, अन्यथा किसी भी दावेपर विचार नहीं किया जायेगा।

काउन्सिलिंग के समय निम्नलिखित के साथ उपस्थित हों।

1. मूल प्रवेश पत्र (Admit Card)
2. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उनकी छाया प्रतियाँ।
3. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र उनकी छाया प्रतियाँ।
4. स्नातक या समकक्ष परीक्षा मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र तथा उनकी छाया प्रतियाँ।
5. चरित्र प्रमाण - पत्र की मूल प्रति।
6. स्थानान्तरण प्रमाण - पत्र (टी.सी.) / माइग्रेशन प्रमाण - पत्र मूल प्रति।
7. श्रेणी (वर्ग), उपश्रेणी (उपवर्ग), अधिभार सम्बन्धित मूल प्रमाण-पत्र एवं छाया प्रति।
8. निर्धारित शैक्षणिक शुल्क।

महाविद्यालय- वन्दना

अन्नत आलोक विश्वमूर्ते,
सफल हमारी ये साधना हो ।
न दीनता हो न हो पलायन,
स्वदेश सेवा की भावना हो ।
हमारे जीवन के पंथ दुर्गम,
बने हमारे विकास साधन ।
ये आत्मबल हो हमारा सम्बल,
हमारे जीवन की प्रेरणा हो ।